ताशकंद में साझेदारी की नई इबारत

उज्बेकिस्तान से 5 अरब डॉलर के व्यापार का लक्ष्य : मोदी

ताशकंद, 30 अगस्त. ताशकंद में रविवार को प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता में व्यापार, निवेश, रक्षा, परमाणु ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, बुनियादी ढांचा, डिजिटल तकनीक, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी.

दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को मौजूदा 1 अरब डॉलर से अधिक के स्तर से बढ़ाकर 5 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है. मोदी ने कहा कि उज्बेकिस्तान मध्य एशिया के केंद्र में है और इस क्षेत्र के साथ भारत के जुड़ाव का भी महत्वपूर्ण केंद्र है. भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त व्यापारिक सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय भी लिया गया है, जिसमें दोनों देशों के उद्योग जगत के प्रतिनिधि शामिल होंगे. दोनों पक्षों ने आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद को क्षेत्रीय शांति के लिए गंभीर चुनौती माना और इनसे निपटने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रखने पर सहमति जताई. सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए विदेश मंत्रियों के स्तर पर एक समन्वय परिषद बनाने तथा मौजूदा संयुक्त आयोग का स्तर सचिवों से बढ़ाकर मंत्रियों के स्तर पर करने का फैसला भी हुआ है. मोदी की यात्रा के दौरान खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक एवं वित्तीय संवाद, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों और सहयोग संबंधी दस्तावेजों का आदान-प्रदान हुआ. उज्बेकिस्तान में बौद्ध विरासत से जुड़े फयाज तेपा और कारा तेपा स्थलों के संरक्षण एवं पुनरुद्धार के लिए भी सहयोग की सहमति बनी है. दोनों देशों ने पारंपरिक चिकित्सा, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ाने पर भी जोर दिया.

सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित

इसी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव ने प्रधानमंत्री मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राज्य सम्मान 'ओली दराजली दोस्तलिक' प्रदान किया. 'दोस्तलिक' का अर्थ मित्रता है. यह सम्मान दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने में मोदी के योगदान के सम्मान में दिया गया और यह उनके खाते में 36वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान बताया गया है.

पीएम मोदी ने दिया नशामुक्त युवा पर जोर

मन की बात

नरेंद्र मोदी ने रविवार को 'मन की बात' के 137वें संस्करण में नशे के खिलाफ जागरूकता, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने, स्वच्छता और युवाओं की भागीदारी पर जोर दिया. उन्होंने 'नशा मुक्त युवा-विकसित भारत' के संकल्प को जनआंदोलन बनाने का आह्वान किया और देश के अलग-अलग हिस्सों में बदलाव ला रहे लोगों के उदाहरण साझा किए. मोदी ने 'हर घर तिरंगा' अभियान का जिक्र करते हुए बताया कि इस वर्ष 8 करोड़ से अधिक तिरंगा सेल्फी अपलोड की गईं. उन्होंने 'सूर्यपथ तिरंगा' पहल का भी उल्लेख किया और कहा कि भारतीय तिरंगा दुनिया के अलग-अलग हिस्सों तक पहुंचा है. खेती में नए अवसरों की चर्चा करते हुए मोदी ने अवाकाडो की खेती का उदाहरण दिया. महिला उद्यमिता के संदर्भ में प्रधानमंत्री ने पीएम स्वनिधि योजना की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि इसके लाभार्थियों में करीब 46 प्रतिशत महिलाएं हैं और लगभग 35 लाख महिलाएं योजना से जुड़ी हैं.

उज्बेकिस्तान से भारत को मिलेगा यूरेनियम का 'खजाना'

नई दिल्ली. भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़ाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. इसी बीच उज्बेकिस्तान के साथ यूरेनियम सहयोग को लेकर सामने आ रही खबरों ने दोनों देशों के रिश्तों को रणनीतिक नजरिए से महत्वपूर्ण बना दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के बीच बातचीत में यूरेनियम को लेकर विशेष चर्चा हो रही है. भारत के लिए यूरेनियम की उपलब्धता इसलिए अहम है क्योंकि परमाणु ऊर्जा उत्पादन के विस्तार के साथ परमाणु ईंधन की जरूरत भी बढ़ेगी. सरकार लंबे समय से ऊर्जा सुरक्षा के लिए परमाणु ऊर्जा को महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में देख रही है. ऐसे में यूरेनियम की स्थिर और विविध आपूर्ति सुनिश्चित करना भारत की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है. उज्बेकिस्तान के साथ सहयोग बढ़ने पर भारत के पास परमाणु ईंधन के लिए एक और महत्वपूर्ण स्रोत उपलब्ध हो सकता है.

हिमांशु भाऊ सिंडिकेट से जुड़े 4 आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली. दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने हिमांशु भाऊ सिंडिकेट से कथित तौर पर जुड़े चार लोगों को राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपियों में 19 वर्षीय रमन उर्फ फौजी और 22 वर्षीय करण शामिल हैं. दोनों दिल्ली, हरियाणा और अन्य राज्यों में हुई कई आपराधिक घटनाओं के मामलों में वांछित थे. रमन और करण का नाम अया नगर हत्याकांड की जांच में सामने आया है. दोनों पर एक अन्य वारदात के दौरान 20 से ज्यादा राउंड गोली चलाने का भी आरोप है. रोहतक के रिटोली में हिमांशु भाऊ के कथित विरोधी सनी रिटोली पर हुए हमले से भी जुड़ा है.

अपने ही सम्मान न करें तो सवाल उठेंगे

बीसीआई पर जस्टिस नागरत्ना का सवाल

नई दिल्ली, 30 अगस्त. सुप्रीम कोर्ट की जज बी. वी. नागरत्ना ने कहा कि कानूनी व्यवस्था लंबित मामलों, देरी और बढ़ती लागत की समस्या से जूझ रही है. उन्होंने वकीलों से अपनी सोच बदलने, अपनी भूमिका पर पुनर्विचार करने और न्याय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एकजुट होकर आवाज उठाने का आह्वान किया. जस्टिस नागरत्ना ने दिल्ली स्थित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के 13वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जब किसी बार काउंसिल को उसके सदस्य ही सम्मान नहीं देते, तो यह कानूनी पेशे के लिए अच्छा संकेत नहीं है. उन्होंने कहा कि बार काउंसिल को पेशेवर नैतिकता, सदाचार और पेशेवर दक्षता को बनाए रखने में अपनी भूमिका और महत्व पर आत्ममंथन करना चाहिए. उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि वकील भी परेशान वादियों को न्याय दिलाने और देश में लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के प्रति अपने कर्तव्यों पर विचार करें.

कानपुर हादसे में डीजीसीए ने पहले ही दी थी चेतावनी

- टेकनाम विमान की सुरक्षा पर उठाए थे सवाल
- उड़ान प्रशिक्षण संस्थानों को भेजी थीं सिफारिशें

नई दिल्ली, 30 अगस्त. कानपुर के पास 27 अगस्त को टेकनाम पी2006टी प्रशिक्षण विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद विमान की सुरक्षा और उड़ान प्रशिक्षण संस्थानों की निगरानी को लेकर सवाल गहराने लगे हैं. इस हादसे में एक प्रशिक्षु पायलट और एक प्रशिक्षक की मौत हुई थी. अब आधिकारिक संचार से पता चला है कि हादसे से करीब डेढ़ महीने पहले ही नागर विमानन महानिदेशालय ने टेकनाम विमानों को लेकर उड़ान प्रशिक्षण संस्थानों को सुरक्षा संबंधी सिफारिशें भेजी थीं. नियामक ने प्रशिक्षण संस्थानों से इन सिफारिशों पर तत्काल कार्रवाई करने को कहा था.

डीजीसीए ने 10 जुलाई 2026 को भेजे एक संचार में विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो की ओर से 12 मई 2022 को हरियाणा के भिवानी में हुए टेकनाम पी2006टी हादसे की जांच के बाद जारी सुरक्षा सिफारिशों को साझा किया था.

सवाल पूछना विद्रोह नहीं : जस्टिस उज्जल

नई दिल्ली, 30 अगस्त. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश उज्जल भुइयां ने कहा कि अलग राय रखने या सवाल पूछने वाले छात्रों को दंडात्मक कार्रवाई की धमकी नहीं दी जा सकती. ऐसा करना असांविधानिक और सत्ता का दुरुपयोग है. न्यायमूर्ति भुइयां ने कहा कि विश्वविद्यालय ऐसी जगह होनी चाहिए, जहां 'स्थापित धारणाओं' की 'जांच और सवाल' किए जा सकें तथा असहमति का जवाब दुश्मनी से नहीं दिया जाए. विश्वविद्यालय वह जगह है, जहां स्वतंत्र रूप से सोचने की आदत विकसित होती है और छात्र कठिन सवाल पूछने में संकोच नहीं करता. उन्होंने कहा कि सवाल पूछने का अधिकार विद्रोह नहीं है और 'असहिष्णु सोच' भारतीय संविधान की भावना के विपरीत है. शीर्ष अदालत के न्यायाधीश दिल्ली स्थित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर छात्रों के 13वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे.

आज का इतिहास

- 1940- मराठी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार शिवाजी सावंत का जन्म।
- 1956- भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने राज्य पुनर्गठन विधेयक को मंजूरी दी.
- 1959- अमेरिकी बेसबॉल खिलाड़ी सैंडी कुफैक्स ने एक नेशनल लीग रिकॉर्ड बनाया.
- 1962 - कैरेबियाई देश टोबैगो एवं त्रिनिदाद ब्रिटेन से स्वतंत्र हुए.
- 1964- कैलिफोर्निया आधिकारिक रूप से अमेरिका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रांत बना.
- 1968 - भारत में टू-स्टेज राउंडिंग रॉकेट रोहिणी-एमएसवी 1 का सफल प्रक्षेपण किया गया.
- 1983 - भारत के उपग्रह इनसेट-1 बी को अमेरिका के अंतरिक्ष शटल चैलेंजर से प्रसारित किया गया.

मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड (सुरक्षित और असुरक्षित ऋण व्यवसाय प्रभाग)

muthoot FINCORP — Jab zindagi badalni ho

(मुथूट पप्पाचन समूह की कंपनी) CIN : U65929KL1997PLCO11518

प्रशासनिक कार्यालय : 710-ए एवं 711-ए, सातवीं मंजिल, फेस-2, स्पेंसर प्लाजा, माउंट रोड़, अन्ना सलाई, चेन्नई-600 002
पंजीकृत कार्यालय : मुथूट सेन्टर, टीसी नं. 27/3022, पुन्नेन रोड़, त्रिवेन्द्रम, केरला - 695 001

परिशिष्ट–IV [नियम 8(1)] आधिपत्य सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने **मुथुट फिनकार्प लिमिटेड (एमएफएल)** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 की अधिनियम संख्या 54) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, निम्न वर्णित उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(ओं) को एक मांग सूचना निर्गत की थी। उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों की समाप्ति के उपरांत, उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(ओं) राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(ओं) को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न वर्णित सम्पत्ति का, उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त भाक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, निम्नानुसार **आधिपत्य** कर लिया है।

उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/ गारंटर का नाम	मांग सूचना की दिनांक	कुल बकाया राशि (रु.) भावी ब्याज लागू	प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों)/ अचल संपत्ति(यों) का विवरण	आधिपत्य की तिथि
ऋण खाता नं. MFLMPDSECUL000005107217 श्री अनिल भंडारी (ऋणी) **श्रीमती माया बाई** (सह-ऋणी)	08-06-2026	₹ 36,18,870.14 (रुपए छत्तीस लाख अठारह हजार आठ सौ सत्तर एवं चौदह मात्र)	संपत्ति का शेष एवं सम्पूर्ण भाग, मकान नं. 216, प.ह.नं. 03 (सरल नं. 2225), ग्राम अलारी, तहसील टोंकखुर्द, जिला देवास, मध्यप्रदेश, कुल क्षेत्रफल - 885वर्गफीट **चर्तुसीमाएँ:** पूर्वः रोड, पश्चिमः चैन सिंह का मकान, उत्तरः रोड, दक्षिणः जितेन्द्र जी का मकान	26.08.2026

उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(ओं) को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन-देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन, ऊपर अंकित मांगी गई एक राशि तथा इस राशि पर भावी ब्याज हेतु **मुथुट फिनकार्प लिमिटेड** के प्रभाराधीन होगा।

स्थान : मध्य प्रदेश, दिनांक 31.08.2026 — **ह/- प्राधिकृत अधिकारी, वास्ते मुथुट फिनकार्प लिमिटेड**

ida इंदौर विकास प्राधिकरण

विज्ञप्ति क्रमांकः 136 — दिनांक : 24-08-2026

इंदौर विकास प्राधिकारी की योजना क्र. 51 में डिस्पेंसरी उपयोग के भूखण्ड को लीज पट्टे पर न्यूनतम दर के बराबर या अधिक दर पर व्ययन करने हेतु बोली सह आक्शन (Tender cum Auction) के माध्यम से ऑनलाईन Online निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा का विवरण निम्नानुसार हैः-

अ. क्र.	ई-टेण्डर पोर्टल क्रमांक	संपत्ति क्रमांक	आरक्षित श्रेणी	क्षेत्रफल (व.मी.)	प्रथम वर्ष लीज (प्रति व.मी.)	आगामी वर्ष लीज (प्रति व.मी.)	न्यूनतम दर (प्रति व.मी.)	अर्नेस्ट मनी (EMD 5%)
1	2026_DTCP_532084_1	डिस्पेंसरी भूखंड	सामान्य	1017.00	16.00	5.00	43000.00	21,86,550.00

निविदा प्रस्तुत करने संबंधी महत्वपूर्ण दिनांक

अ.क्र.	विवरण	दिनांक	समय
1	निविदा प्रारम्भ	31-08-2026	15:00 hrs
2	निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय	21-09-2026	18:00 hrs
3	तकनीकी निविदा खोलने की तिथि	23-09-2026	11:30 hrs
4	प्रारम्भिक वित्तीय निविदा खोलने की प्रस्तावित तिथि	30-09-2026	11:30 hrs
5	पात्र निविदादाताओं हेतु ई-नीलामी (Live e-Auction) प्रारम्भ होने की तिथि एवं समय एवं ई-नीलामी समाप्त होने की तिथि एवं समय	12-10-2026	11:30 hrs to 14:30 hrs

नोटः-
- निविदा ई-प्रोक्योरमेंट पद्धति से पोर्टल https:/www.mptenders.gov.in पर देखी एवं ऑनलाईन क्रय की जा सकती है। ई-टेण्डर हेल्प डेस्क का टोल फ्री नंबर 01204001002 है।
- संपत्तियो का व्ययन निविदा सह आक्शन पद्धती से किया जाएगा। इसकी प्रक्रिया mptender पोर्टल पर निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की जावेगी।
- निविदा में भाग लेने हेतु निविदा प्रस्तुतकर्ता अर्नेस्टमनी (प्रतिभूति) राशि का भुगतान ऑनलाईन स्वयं के खाते से क्रेडिट कार्ड/डेबिटकार्ड/नेट बैंकिंग/आरटीजीएस के माध्यम से कर सकेगा।
- निविदादाता को अपने निविदा ऑफर (दर) ऑनलाईन देना होगी। सभी डाक्यूमेंटस निविदा प्रपत्र मे दिए गए निर्देशानुसार स्व हस्ताक्षरित ऑनलाईन अपलोड करना होगें।
- निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन इंदौर विकास प्राधिकरण तथा mptender पर ही प्रदर्शित किया जायेगा, जिसे पृथक से समाचार-पत्रों में प्रकाशित नही किया जावेगा।
- सम्पत्ति की प्रीमियम भुगतान हेतु आवश्यक निर्देश निविदा प्रपत्र अनुसार होंगे।
- प्राधिकरण को किसी भी स्तर पर निविदा स्वीकार अथवा निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

मुख्य कार्यपालिक अधिकारी
इंदौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर

अधिक जानकारी के लिए कार्यलयीन समय में श्री कैलाश चंद्रवाल 98936-99143, श्री आशीष पाल 95845-55568, श्री हेमंत उपाध्याय 98936-99121 से संपर्क करें, अथवा प्राधिकारी की वेबसाईट www.idaindore.org पर देखे।

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजी. कार्यालय : 11 वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनिन्सुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोवर परेल मुम्बई - 400 013. संपर्क (022) 66069383
शाखा कार्यालय : तीसरी मंजिल, युनिट नं. 301, एनआरके टेक पार्क, प्लाट नं. 9/सी/सीए, स्कीम नं. 94, रिंग रोड़, रेडीसन चौराहे के पास, इन्दौर म.प्र.-452010.

मांग सूचना

प्रतिभूति हित (प्रत्यावर्तन) नियम, 2002(''नियम'') के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुननिर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रत्यावर्तन अधिनियम, 2002 (''अधिनियम'') की धारा 13(2) के अधीन

जैसा कि **टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** (टीसीएचएफएल) के अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिनियम के अधीन और नियमों के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए नीचे दिए गए विवरण अनुसार इसमें सूचीबद्ध कर्जदारों/ सह कर्जदारों/गारंटरों (सभी को अकेले या एक साथ ''बाध्यताधारी'' कहा गया है) /कानूनी वारिसों/ कानूनी प्रतिनिधियों को संबंधित नोटिसों की तिथियों से 60 दिन के अंदर मांग सूचना मे निर्दिष्ट राशि का भुगतान करने की अपील करते हुए अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन विस्तृत मांग सूचना दिनांक जारी किए गए थे. कथित सूचना की प्रतियां पंजीकृत डाक ए.डी. द्वारा तामील की गई हैं और अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास उपलब्ध हैं और यदि कथित बाध्यताधारी/ कानूनी वारिस/कानूनी प्रतिनिधि चाहें तो किसी भी कार्यालयीन दिवस को सामान्य कार्यावधि के दौरान अधोहस्ताक्षरी से संबंधित प्रति प्राप्त कर सकते है।
उपर्युक्त संबंध में एतद द्वारा कथित बाध्यताधारीयों/कानूनी वारिसों/ कानूनी प्रतिनिधियों को एक बार पुनः सुचित किया जाता है कि कथित बाध्यताधारियों द्वारा निष्पादित ऋण के करार एवं अन्य दस्तावेजों /विलेखों के साथ पठित नीचे कॉलम (डी) में संबंधित तिथि से भुगतान और/या वसुली की तिथि तक आगामी ब्याज सहित इसमें उनके संबंधित नामों के समक्ष निर्दिष्ट राशि संबंधित सूचना की तिथियों से 60 दिन के अंदर टीसीएचएफएल को भुगतान करें. कथित बाध्यताधारियों द्वारा निम्नलिखित सुरक्षित आस्तियां कर्ज के देय भुगतान की सुरक्षा के रुप मे टीसीएचएफएल के लिए गिरवी रखी गई है।

क्रं.	ऋण खाता क्रं.	बाध्यताधारीयों/कानूनी वारिसों/ कानूनी प्रतिनिधियों के नाम	कुल बकाया देय (रु.)	डिमांड नोटिस की तिथि एवं एनपीए की तिथि
1	9176963	श्री नीरज टंडन (ऋणी) श्रीमती सोनाली टंडन (सह-ऋणी)	Rs. Rs. 8,71,466/-	24-08-2026 & 07-08-2026

सुरक्षित संपत्तियों का विवरण : संपत्ति के शेष एवं संपूर्ण भाग, रहवासी संपत्ति, न्यू पलासिया, गली नं. 4, इंदौर, प्लॉट नं. 36 का पश्चिम भाग एवं उस पर बनी इमारत और उसके सभी ढांचे, इस संपत्ति का कुल भूमि क्षेत्रफल 1650 वर्गफीट (लगभग 153.34 वर्ग मीटर)। **चर्तु:सीमाः** पूर्वः सुधीर माकोडे एवं रतना का मकान, पश्चिमः जैन साहब का मकान, उत्तरः खंडेलवाल जी की भूमि, दक्षिणः रोड

*संबंधित मांग सूचना दिनांक में विशेष रुप से निदिष्ट दर पर आगामी ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, अदायगी और/या वसूली की तिथि तक उठाया गया आकस्मिक खर्च, लागत, शुल्क इत्यादि. यदि जैसा की ऊपर कहा गया है कथित बाध्यताधारी टीसीएचएफएल को भुगतान नहीं करेंगे तो टीसीएचएफएल खर्च एवं परिणाम के रुप में पूरी तरह से कथित बाध्यताधारीयों/कानूनी वारिसों/ कानूनी प्रतिनिधियों के जोखिम पर कथित अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के अधीन उपर्युक्त सुरक्षित आस्तियों/अचल संपत्तियों के लिए कार्यवाही करेगा। कथित बाध्यताधारी/कानूनी वारिस/कानूनी प्रतिनिधि टीसीएचएफएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना उपर्युक्तसुरक्षित आस्तियों/अचल संपत्तियो को बिक्री, पट्टा या अन्य किसी भी रुप में हस्तांतरित करने के लिए कथित अधिनियम के अधीन प्रतिबंधित हैं। अधिनियम के प्रावधानों या उसके अधीन बने नियमों का उल्लंघन या उल्लंघन करने के लिए उकसाने वाला व्यक्ति अधिनियम के अंतर्गत यथा विहित सजा और/या दंड का पात्र होगा।

हस्ता./-
दिनांक : 31.08.2026 — प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : मध्यप्रदेश — टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

CENTRUM HOUSING FINANCE LIMITED
Group Company of peoplehome — A Subsidiary of Weaver Services Private Limited
All loans are processed and serviced by Centrum Housing Finance Limited ("CHFL")

रजिस्टर्ड ऑफिस : यूनिट नंबर 301, तीसरी मंज़िल, हरभजन कमर्शियल प्रेमिसेस को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, CST रोड, BPCL पेट्रोल पंप के सामने, कलिना, सांताक्रूज (पूर्व), मुंबई - 400098.
CIN: U65922MH2016PLC273826

डिमांड नोटिस

सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 की धारा 13(2) और सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स, 2002 के नियम 3(1) के तहत।

नीचे हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी, 'सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002' (जिसे 'उक्त एक्ट' कहा गया है) के तहत सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी हैं। उक्त एक्ट की धारा 13(12) और 'सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स, 2002' के नियम 3 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, अधिकृत अधिकारी ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के तहत डिमांड नोटिस जारी किए हैं। इन नोटिसों के जरिए नीचे बताए गए उधारकताओं (जिन्हें 'उक्त उधारकर्ता' कहा गया है) से कहा गया है कि वे अपने-अपने डिमांड नोटिस में बताई गई रकम चुकाएं (जो नीचे भी दी गई है)। इस संबंध में, उक्त उधारकताओं को एक बार फिर यह नोटिस दिया जाता है कि वे इस नोटिस के छपने के 60 दिनों के भीतर सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को नीचे बताई गई रकम चुकाएं। साथ ही, बकाया रकम पूरी तरह चुकाने की तारीख तक का अतिरिक्त ब्याज और अन्य शुल्क भी दें (जैसा कि उक्त डिमांड नोटिस में बताया गया है)। यह भुगतान नीचे बताई गई तारीखों से लेकर भुगतान और/या वसूली की तारीख तक करना होगा, जो लोन एग्रीमेंट और उक्त उधारकताओं द्वारा हस्ताक्षरित अन्य दस्तावेजों/लिखतों (यदि कोई हों) के तहत देय है। लोन की सही समय पर अदायगी की सुरक्षा के तौर पर, उक्त उधारकताओं ने सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पास अपनी-अपनी संपत्तियां गिरवी रखी हैं।

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या/उधारकर्ता (ओं)/सह-उधारकर्ता (ओं)/ गारंटर (ओं) का नाम	कुल बकाया राशि (रु.)	एनपीए दिनांक / सेक. 13(2) नोटिस दिनांक / एफसीएल दिनांक	सुरक्षित संपत्ति का विवरण (अचल संपत्ति)
1	IDRUJ22008344 / कृपाल सिंह/ लाभू बाई सिंह/ मंगू सिंह	रू. 3,77,247/- (तीन लाख सतत्तर हजार दो सौ सैंतालीस मात्र)	04-07-2026 08-08-2026 22-07-2026	अचल संपत्ति के अधिकार और उसका हिस्सा, जिसका हाउस नंबर 67 है, क्षेत्रफल 105.84 वर्ग मीटर, सर्वे नंबर 254, गांव छज्जूखेड़ी, ग्राम पंचायत नागपुरा, तहसील-महिदपुर, उज्जैन-456441, मध्य प्रदेश। सीमाएं:- पूर्व : कॉमन रोड, पश्चिम : कॉमन रोड, उत्तर : राम सिंह (पिता निर्भय सिंह) का घर, दक्षिण : कॉमन रोड।
2	UDRNM23013356 / गजराज बलाई/संतोष बाई	रू. 9,47,285/- (नौ लाख सैंतालीस हजार दो सौ पिच्यासी मात्र)	09-07-2026 08-08-2026 23-07-2026	अचल संपत्ति के अधिकार और हिस्से के संबंध में, जिसका खसरा नंबर 482 है और क्षेत्रफल 182.15 वर्ग मीटर है; पीएच नंबर 17, ग्राम- दामोदरपुरा, पोस्ट- केसरपुरा, तहसील- जावद, जिला- नीमच-458330, मध्य प्रदेश। सीमाएं:- पूर्वः गोपाल साल्वी का घर, पश्चिमः आम रास्ता, उत्तरः उनकारलाल साल्वी का प्लॉट, दक्षिणः सड़क।
3	UDRNM23013824 / वकील बंजारा/बच्ची बाई गरासिया	रू. 5,86,955/- (पाँच लाख छियासी हजार नौ सौ पचपन मात्र)	09-07-2026 12-08-2026 10-08-2026	अचल संपत्ति के अधिकार और उसका हिस्सा, जिसका विवरण इस प्रकार हैः मकान नंबर- 35, क्षेत्रफल 2090 वर्ग फुट, पीएच नंबर- 09, वार्ड नंबर- 03, ग्राम- कुंड खेड़ा, तहसील- मनासा, जिला- नीमच-458110, मध्य प्रदेश। सीमाएं:- पूर्वः कॉमन रोड, पश्चिमः अपनी जमीन, उत्तरः मुकेश बंजारा का मकान, दक्षिणः बहादुर सिंह (पिताः भारमल) का प्लॉट।
4	UDRNM23014219 / सुरेश दमामी/बगड़ी बाई दमामि	रू. 4,34,631/- (चार लाख चौंतीस हजार छह सौ इकतीस मात्र)	09-07-2026 12-08-2026 10-08-2026	PHN-39, LSN 362 के तौर पर पहचानी गई अचल संपत्ति में अधिकार और हिस्सा, जिसका क्षेत्रफल 3,092 वर्ग फुट है; गाँवः छायन, ज़िलाः नीमच-458441, मध्य प्रदेश। सीमाएँ: पूर्वः भगत सिंह का बाड़ा; पश्चिमः सड़क; उत्तरः रामलाल भील का घर; दक्षिणः मनोहर सिंह का बाड़ा।
5	UDRNM24016110/ शिवलाल शिवलाल/बच्ची बाई	रू. 9,56,825/- (नौ लाख छप्पन हजार आठ सौ पच्चीस मात्र)	09-07-2026 12-08-2026 10-08-2026	अचल संपत्ति के अधिकार, टुकड़े और पार्सल में पी.एच.नं. 85, एलएसएन 128/1/1, एडम. 2450 वर्गफुट, ग्राम भदाना, तहसील-रामपुरा, जिला-नीमच-458118, मध्य प्रदेश। सीमाएँ:-पूर्वः आम रास्ता पश्चिमः हीरालाल का बाड़ा उत्तरः कच्चा घर भोना पुत्र खीमा बंजारा दक्षिण : कल्ला पुत्र मांगीलाल का घर।
6	UDRNM24017797 / अनिल कुमार / अंगूरबाला अंगूरबाला	रू. 6,05,654/- (छह लाख पाँच हजार छह सौ चौवन मात्र)	09-07-2026 12-08-2026 10-08-2026	अचल संपत्ति के अधिकार और उसका हिस्सा, जिसका पीएच नंबर 18, वार्ड नंबर 20, LSN 1952 है; क्षेत्रफल 98.14 वर्ग मीटर; ग्राम- फतेह नगर, तहसील- जीरन, जिला- नीमच-458441, मध्य प्रदेश। सीमाएँ:- पूर्वः आम रास्ता, पश्चिमः अशोक का घर, उत्तरः बाबूलाल जी का घर, दक्षिणः रामलाल जी का घर।
7	UDRMD24018650/राजू अहिरवार/अनीता अनिता	रू. 8,42,994/- (आठ लाख बयालीस हजार नौ सौ चौरानवे मात्र)	10-06-2026 19-08-2026 10-08-2026	अचल संपत्ति का वह हिस्सा और अधिकार, जिसका हाउस नंबर 78, पीएच नंबर 24, क्षेत्रफल 900 वर्ग फुट, वार्ड नंबर 04, गाँव-बोहराखेड़ी, तहसील और ज़िला-मंदसौर-458002, मध्य प्रदेश है। सीमाएँ:- पूर्व : मुकेश नायक का प्लॉट, पश्चिम : रास्ता, उत्तर : भेरूलाल का घर, दक्षिण : बंसीलाल जी का घर।
8	UDRMD24018030/विक्रम सिंह गुर्जर/पुष्पा कुमारी/ धापू बाई गुर्जर	रू. 8,24,107/- (आठ लाख चौबीस हजार एक सौ सात मात्र)	09-07-2026 12-08-2026 10-08-2026	अचल संपत्ति के अधिकार और उसका हिस्सा, जिसका सर्वे नं. 345 है, मकान नंबर 81, क्षेत्रफल 162.63 वर्ग मीटर, वार्ड नंबर 11, गाँव-करनाली सेदरा, तहसील-सीतामऊ, जिला-मंदसौर-458558, मध्य प्रदेश। सीमाएँ:- पूर्व : रास्ता, पश्चिम : नाला, उत्तर : बहादुर सिंह का मकान, दक्षिण : मानसिंह जी का मकान।
9	UDRMD24018272 / फूला चांद/रेखा बाई	रू. 10,90,528/- (दस लाख नब्बे हजार पाँच सौ अट्ठाइस मात्र)	09-07-2026 12-08-2026 10-08-2026	अचल संपत्ति के अधिकार और हिस्सा, जिसका भवन नंबर 363 है और क्षेत्रफल 1425 वर्ग फुट है; पीएच नं. 116, गाँव-पालडी, तहसील और ज़िला-मंदसौर-458895, मध्य प्रदेश। सीमाएँ:- पूर्व : मदनलाल गुर्जर का घर, पश्चिम : कंवरलाल का प्लॉट, उत्तर : राधेश्याम का घर, दक्षिण : आम रास्ता।
10	UDRMD24019032 / गोपाल गोपाल/सोहन बाई कुमावत	रू. 9,85,825/- (नौ लाख पिच्यासी हजार आठ सौ पच्चीस मात्र)	09-07-2026 19-08-2026 10-08-2026	अचल संपत्ति के अधिकार, टुकड़े और पार्सल में मकान क्रमांक 736, भवन अंकित है पनजी क्रमांक 225, एडम. 2736 वर्ग फुट, वार्ड नंबर 14, पीएचएन 21, गांव और ग्राम पंचायत-कुचरोद, तहसील एवं जिला-मंदसौर-458895, मध्य प्रदेश। सीमाएँ:- पूर्वः घर भागीरथ जी पश्चिम : आम रास्ता उत्तर : भागीरथ जी का घर। दक्षिण : भंवरलाल का घर।
11	UDRMD24019046 / गौरीलाल गौरीलाल / बमनी बाई चंदेल	रू. 5,28,370/- (पाँच लाख अट्ठाइस हजार तीन सौ सत्तर मात्र)	09-07-2026 12-08-2026 10-08-2026	अचल संपत्ति के अधिकार, टुकड़े और पार्सल में सर्वेक्षण संख्या 256, मकान क्रमांक 44, प्रशासन. 156 वर्गमीटर, ग्राम-पीत्या खेड़ी (नाहरगढ़), पीएच नं. 00094, तहसील एवं जिला- मंदसौर-458558, म.प्र.। सीमाएँ:- पूर्वः राजु बिहारी का घर, पश्चिमः आम रास्ता उत्तरः रास्ता (गली) दक्षिणः मुकेश भाव सिंह का घर।
12	UDRMD24020061 / नेपाल सिंह/दिलखुश कुँवर	रू. 9,96,121/- (नौ लाख छियानवे हजार एक सौ इक्कीस मात्र)	04-07-2026 12-08-2026 11-08-2026	अचल संपत्ति के अधिकार और उसका हिस्सा, जिसका विवरण इस प्रकार हैः हाउस नंबर 10, वार्ड नंबर 01, क्षेत्रफल 2240 वर्ग फुट, गांव और ग्राम पंचायत - कटलर, तहसील - दलौदा और जिला - मंदसौर - 458667, मध्य प्रदेश। सीमाएं:- पूर्वः कॉमन रोड (CC), पश्चिमः अपनी जमीन, उत्तरः प्रेम सिंह का घर, दक्षिणः कॉमन रोड (CC)।
13	UDRMD24020131 / राजेंद्र सिंह पंवार/ हंशा कुँवर पंवार	रू. 5,75,846/- (पाँच लाख पिचहत्तर हजार आठ सौ छियालीस मात्र)	04-07-2026 19-08-2026 11-08-2026	अचल संपत्ति का वह हिस्सा और अधिकार, जिसमें मकान नंबर-188 क्षेत्रफल 651 वर्ग फुट, पीएच नं. 69, वार्ड नंबर-7, निपानिया हतुनिया, तहसील और जिला- मंदसौर-458667, म.प्र. शामिल है। सीमाएँ:- पूर्वः भरत सिंह पंवार का घर, पश्चिमः कुलदीप सिंह का घर, उत्तरः कुलदीप सिंह का घर, दक्षिणः आम रास्ता।
14	UDRNM24020101 / सुरेश मीणा / देवकन्या देवकन्या	रू. 6,12,573/- (छह लाख बारह हजार पाँच सौ तिहेत्तर मात्र)	09-07-2026 12-08-2026 11-08-2026	अचल संपत्ति का वह हिस्सा और अधिकार, जो आबादी सर्वे नं. 210, मकान नं.13 क्षेत्रफल 110.37 वर्ग मीटर, वार्ड नंबर 09, पीएच नं. 22, ग्राम- बरखेड़ा मीना, तहसील- जावद, जिला- नीमच-458220, मध्य प्रदेश में स्थित है। सीमाएँ:- पूर्वः कॉमन रोड, पश्चिमः योगेश ओझा की खाली जमीन, उत्तरः दिलखुश का मकान, दक्षिणः अमर सिंह का मकान।
15	UDRMD25020735 / विक्रम सिंह / धापू बाई	रू. 18,14,182/- (अठारह लाख चौदह हजार एक सौ बयासी मात्र)	04-07-2026 12-08-2026 11-08-2026	अचल संपत्ति का वह हिस्सा और टुकड़ा जिसका सर्वे नंबर 1222 है, मकान नंबर 201, क्षेत्रफल 1612 वर्ग फुट, वार्ड नंबर 02, पीएच नं. 47, ग्राम-डोरवाड़ा, तहसील-मल्हारगढ़, जिला-नीमच-458556, मध्य प्रदेश। सीमाएँ:- पूर्वः गली, फिर जितेंद्र सिंह पिता केसर सिंह का मकान; पश्चिमः गोविंद सिंह पिता निर्भय सिंह का मकान; उत्तरः भोमर सिंह पिता रूप सिंह का मकान; दक्षिणः आम रास्ता।
16	UDRNM24015847 / जयेश जयेश/भगत राम धनगर/सोहन बाई	रू. 8,42,484.00/- (आठ लाख बयालीस हजार चार सौ चौरासी मात्र)	08-06-2026 17-08-2026 14-08-2026	अचल संपत्ति का वह हिस्सा और अधिकार, जिसका हाउस नंबर 178, सर्वे नंबर 231/Min 2, क्षेत्रफल 986 वर्ग फुट है। यह संपत्ति पीएच नं. 02, वार्ड नंबर 08, ग्राम और G.P.- कनावटी, तहसील और जिला-नीमच 458441, मध्य प्रदेश में स्थित है। सीमाएँ:- पूर्वः रास्ता, पश्चिमः गली, उत्तरः मदनलाल-भेरूलाल का घर, दक्षिणः चौक, आम रास्ता।
17	UDRNM25022004 / पुष्कर कुमार / कमला बाई मीणा	रू. 11,82,722.00 (ग्यारह लाख बयासी हजार सात सौ बाईस मात्र)	03-08-2026 17-08-2026 14-08-2026	अचल संपत्ति का वह हिस्सा और अधिकार, जिसका सर्वे नंबर 210, मकान नंबर 38, प्रॉपर्टी ID: 1579927285, क्षेत्रफल 184 वर्ग मीटर है; स्थान - ग्राम-बरखेड़ा मीना, तहसील-जावद, जिला-नीमच-458220, मध्य प्रदेश। सीमाएँ:- पूर्वः सोहन लाल, पश्चिमः आम रास्ता, उत्तरः लालसिंह मीना, दक्षिणः घनश्याम नायक।
18	UDRMD25021144 / युवराज सिंह/पुरुषोत्तम सिंह परिहार/शांति बाई	रू. 11,52,698.00 (ग्यारह लाख बावन हजार छह सौ अट्ठानवे मात्र)	03-08-2026 17-08-2026 14-08-2026	अचल संपत्ति के अधिकार और उसका हिस्सा, जिसका विवरण इस प्रकार हैः मकान नंबर 32, वार्ड नंबर 04, क्षेत्रफल 1800 वर्ग फुट, पीएच नं. 43, जो गांव सिंदपन, तहसील मल्हारगढ़, जिला मंदसौर-458556, मध्य प्रदेश में आबादी वाली जमीन पर स्थित है। सीमाएं:- पूर्वः भीम सिंह, पश्चिमः राजेंद्र सिंह, उत्तरः मुख्य सड़क, दक्षिणः अपनी जमीन।

अगर बताए गए उधारकर्ता सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को ऊपर बताए अनुसार पेमेंट करने में नाकाम रहते हैं, तो सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड एक्ट की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत ऊपर बताई गई सुरक्षित संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। इसमें होने वाले खर्च और नतीजों की पूरी ज़िम्मेदारी उधारकताओं की होगी। एक्ट के तहत, उधारकताओं को सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की पहले से लिखित मंजूरी के बिना इन संपत्तियों को बेचने, लीज पर देने या किसी और तरह से ट्रांसफर करने की मनाही है। जो कोई भी इस एक्ट या इसके तहत बने नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने में मदद करता है, उसे एक्ट में बताए अनुसार जेल की सजा और/या जुमार्ना हो सकता है।

स्थानः मध्यप्रदेश, दिनांक : 31.08.2026 — **हस्ताक्षर/-, सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी**